..व	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 5.5.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
.22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 19.5.22 को पेश हो।	
.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074-2077 मे पूर्व मे किया गया संशोधन खाता सं. नया 44 का अवलोकन किया गया जिसमे खाता सं. नया 44 का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है, जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070-2073 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी अपने पिता का नाम भंवरलाल के बजाय घासीराम नाम अंकित करवाना चाहता है। जिसकी ताईद आधार कार्ड, बैंक खाता व जमाबंदी फोटो उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रति पेश की गई जिससे होती है, उसी के अनुसार प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है, ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अतः :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मांडल पटवार हल्का मांडल तहसील मांडल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित खाता सं. 41 मे स्थित आराजी नम्बर 420 रकबा 12 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम भंवर लाल जाट के बजाय घासीराम जाट अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा